

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक 23 फरवरी, 2016.

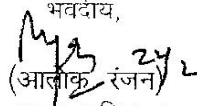
विषय:- कामधेनु/कुक्कुट विकास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि माह सितम्बर, 2015 में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में पशुपालन विभाग के पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के समय यह निर्देशित किया गया था कि कामधेनु/कुक्कुट विकास नीति के क्रियान्वयन हेतु अपने स्तर पर लाभार्थियों तथा बैंकों के साथ संयुक्त रूप से नियमित बैठकें की जाय ताकि उन लाभार्थियों के बैंक में ऋण स्वीकृतियों की पत्रावलियाँ अनावश्यक रूप से लम्बे समय तक लम्बित न पड़ी रहे।

2- तत्काल में शासन स्तर से विभागीय अधिकारियों के साथ इन कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही समीक्षा में यह अनुभव किया गया कि कतिपय मण्डलों एवं जिलों में इसका अनुपालन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है तथा इन बैठकों में लाभार्थियों को भी आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, जिससे सार्थक निर्णय होने की सम्भावना कम हो जाती है, क्योंकि बैंकों द्वारा ऋण के संबंध में उठाई जा रही आपत्तियों का उत्तर दिये जाने हेतु लाभार्थी बैठक में उपलब्ध ही नहीं होते हैं।

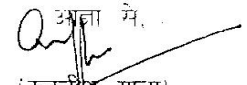
3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कामधेनु/कुक्कुट विकास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने हेतु अपने स्तर पर विभागीय/बैंकों के अधिकारियों तथा संबंधित लाभार्थियों के साथ प्रत्येक माह कम से कम एक बार समीक्षा बैठक की जाय, जिससे बैंकों में लम्बित पड़े ऋण प्रार्थना-पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण हो सके एवं जिन इकाइयों के ऋण स्वीकृत हो गये हैं, उनको ऋण अवमुक्त करने की कार्यवाही बैंकों द्वारा प्राथमिकता पर किये जाने हेतु निर्देशित भी किया जाय।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव ।

संख्या-39(1)/संतीस-2-2016-तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, (प्रशासन एवं विकास) पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को अनुश्रवण हेतु।
- 2- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने मण्डल/जनपद में मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उक्त के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- 3- गार्ड फाइल।

अज्ञा मे.

(रजनी गुप्ता)
प्रमुख सचिव ।